147

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष : एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2022–तीन/2003 – विरूद्ध आदेश दिनांक 6–11–2003 – पारित व्दारा – अपर आयुक्त,चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 155/2002–03 अपील

1– दोजी पुत्र हरकिशन
2– गोपाल पुत्र हरकिशन
जाति खटीक, ग्राम भगौता का पुरा
मौजा तेतपुर (नूरावाद) तहसील मुरैना ---आवेदकगण

विरूद्ध

1– मंगलिया 2– कैलाश पुत्रगण बुद्धो खटीक
3– नारायनी विधवा पत्नि बुद्धो
4– माया पुत्री बुद्धो पत्नि नवलकिशोर
5– मीरा पुत्री बुद्धो पत्नि हरीशंकर खटीक
6– शिमला पुत्री बुद्धो खटीक पत्नि संजय
सभी निवासी ग्राम भगौता का पुरा
मौजा तेतपुर (नूरावाद) तहसील मुरैना
7– सब रजिस्ट्रार मुरैना ---अनावेदकगण

(आवेदकगण के श्री अनिल कुमार अग्रवाल अभिभाषक)
(अनावेदकगण के श्री एस0के0श्रीवास्तव अभिभाषक)
(अना0–7 की ओर से श्री बी.एन.त्यागी)
(अनावेदकगण क.6 सूचना उपरांत अनुपस्थित–एकपक्षीय)

आ दे श

(आज दिनांक 20.7.–2016 को पारित)

यह अपील अपर आयुक्त,चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्र. क.155/2002–03 अपील में पारित आदेश दिनांक 6–11–03 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि विक्रय पत्र दिनांक 23–4–1945 के आधार पर नायब तहसीलदार मुरैना ने प्र0क0 6/89–90 अ–6 में पारित आदेश दिनांक 20–3–89 से मौजा जेतपुर स्थित भूमि स0 क0 158 के हिस्सा 1/4 पर आवेदकगण का नामान्तरण स्वीकार किया गया

इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक मंगलिया आदि ने अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर प्रकरण कमांक 43/89-90 अपील में पारित आदेश दिनांक 19-4-89 से अपील स्वीकार कर नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक 20-3-89 निरस्त किया तथा प्रकरण हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई हेतु प्रत्यावर्तित किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के आदेशानुकम में तहसील न्यायालय में हितबद्ध पक्षकारों की सुनवाई हुई एंव आदेश दिनांक 10.8.89 पारित करके आवेदकगण का नामान्तरण आवेदन निरस्त कर दिया गया।

इस आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना के समक्ष अपील होने पर प्रकरण कमांक 97/88-89 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 30.12.92 से मंगलिया आदि की आपत्ति निरस्त करते हुये अपील में मृतक बुद्धी के वारिसान को रिकार्ड पर लिये जाने के अंतरिम आदेश दिये गये। इस आदेश के विरूद्ध अपर कलेक्टर मुरैना के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण कमांक 203/89-90 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 12.5.92 से निगरानी स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी का अंतरिम आदेश दिनांक 30.12.92 निरस्त किया गया। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी होने पर प्रकरण कमांक 138/91-92 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 29.8.92 से निगरानी इस आधार पर निरस्त की गई कि इसी भूमि वावत् नायव तहसीलदार वृत्त बामौर तहसील मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 6/88-89 अ-6 में पारित आदेश दिनांक 25-5-92 से आवेदकगण एंव अनावेदकगण के हित में स्वीकार किये गये नामान्तरण के विरूद्ध मंगलिया आदि ने अनुविभागीय अधिकारी मुरैना के समक्ष अपील की है जो प्र0क0 34/2001-02 में पारित आदेश दि.8-7-03 से अपील अस्वीकार करते हुये नायव तहसीलदार के आदेश को यथावत् रखा गया है एंव अनुविभागीय अधिकारी के अपील प्र.क. 34/2001-02 में पारित आदेश दिनांक 8-7-03 के विरूद्ध अपर

आयुक्त के समक्ष अपील कमांक 155/2002-02 विचाराधीन है। अपर आयुक्त चम्बल संभाग, मुरैना ने प्रकरण कमांक 155/2002-03 अपील में पारित आदेश दिनांक 6-11-03 से नायव तहसीलदार का आदेश दिनांक 25-5-92 तथा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 8-7-2003 निरस्त कर दिये तथा अपील स्वीकार की गई। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर हितबद्ध पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक क0-6 सूचना उपरांत अनुपस्थित रहने से एकपक्षीय है।

4/ पक्षकारों के विद्वान अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख तथा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना के प्र0क0 155/02-03 अपील में आये तथ्यों के अवलोकन पर स्थिति यह है कि यह तथ्य निर्विवाद है कि वाद विचारित भूमि का विक्रय पत्र दिनांक 23-4-45 को पंजीबद्ध हुआ है जिस पर से केता एंव विकेता की मृत्यु उपरांत केता के उत्तराधिरियों व्दारा नामान्तरण आवेदन प्रथमवार वर्ष 88-89 में अर्थात लगभग 43 वर्ष के अंतराल में प्रस्तुत किया है। प्रकरण की परिस्थितियों पर विचार कर अपर आयुक्त चंबल संभाग मुरैना व्दारा आदेश दिनांक 6-11-2003 के पद 5 में इस प्रकार निष्कर्ष निकाला है -

" यहां यह विचारणीय है कि ऐसे रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर जिसमें विकीत भूमि का सर्वे नंबर नहीं दिया गया हो, 43 वर्ष वाद नामान्तरण किया जा सकता है अथवा नहीं ? यद्यपि संहिता में नामान्तरण के लिये कोई परिसीमा अंकित नहीं है किन्तु न्याय दृष्टांत 1985 पृ0 326 सगुनवाई विरूद्व जायदा में अभिनिर्धारित कियागया है कि यदि नामान्तरण का आवेदन पत्र 20 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत किया जाय और अंतरणकर्ता के जीवनकाल में कोई कार्यवाही नहीं की गई हो तब नामान्तरण करना संभव नहीं है। न्याय दृष्टात राजस्व निर्णय 1985 पृ0 356 में मान0 राजस्व मण्डल ने अभिनिर्धारित किया है कि चार वर्ष का विलम्ब भी संदेह उत्पन्न कर सकता है। यद्धपि माननीय राजस्व मण्डल ने न्याय दृष्टांत रा0नि0 1987 पृ0 349 में यह अभिनिर्धारित किया है कि विक्रय की तारीख से 30 वर्ष वाद दिये गये आवेदन पर भी नामान्तरण बर्जित नहीं है किन्तु माननीय उच्च न्यायालय ने हाल ही में इससे विपरीत मत व्यक्त किया है। माननीय म0प्र0 उच्च

न्यायालय ने न्याय दृष्टांत 2001पृ.397 रामप्यारे उर्फ प्यारे विरूद्ध कमलेश तथा अन्य में अभिनिर्धारित किया है कि नामान्तरण 15 वर्ष से अधिक समय तक नहीं किया गया - निरंतर तथा शांतिपूर्ण कब्जा सिद्ध नहीं - 12 वर्ष तक चालू प्रतिकूल तथा निरन्तर कब्जा सावित करने के लिये साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया -हक अर्जित नहीं। इसी प्रकार माननीय उच्च न्यायालय ने न्याय दृष्टांत 2002 पृ0 306 में अभिनिर्धारित किया है कि कय व्दारा हक के अभिकथित अजर्न के 16 वर्ष पश्चात् नामान्तरण का दावा नहीं किया गया-राजस्व संदाय के किस्त पावती वही के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये-हक शॅकास्पद हो जाता है।''

" नामान्तरण नियमों के नियम 24 के अनुसार जो प्रारूप नामान्तरण पंजी के लिये निर्धारित किया गया है उसके कालम नबर 3 में परिवर्तन व्दारा प्रभावित सर्वेक्षण संख्यॉक भूखंड कमांक तथा उनका क्षेत्रफल व निर्धारित कर का विवरण दिया जाना आवश्यक है। इस प्रकरण में विवादित भूमि का सर्वे कमांक विकय पत्र में अंकित नहीं है ऐसी स्थिति में नामान्तरण नियमों के अनुसार उक्त विकय पत्र के आधार पर नामान्तरण नहीं किया जा सकता। ''

अपर आयुक्त व्दारा निकाले गये उपरोक्तानुसार निष्कर्ष से स्पष्ट है कि विकय पत्र दिनांक 23-4-45 में भूमि का सर्वे नंबर एंव भूमि का विवरण अंकित न होने से तथा विकय पत्र के 43 वर्ष वाद दिये गये नामान्तरण आवेदन पत्र पर से आवेदकगण का नामान्तरण आवेदन अग्राह्य होकर स्वीकार योग्य न होते हुये भी नायव तहसीलदार ने आदेश दिनांक 25-5-92 से आवेदकगण का नामांत्रण करने में त्रृटि की गई है एंव अनुविभागीय अधिकारी मुरैना व्दारा आदेश दिनांक 8-7-2003 पारित करके नायव तहसीलदार के आदेश को यथावत् रखने की त्रृटि करने के कारण विद्वान अपर आयुक्त ने प्रकरण में आये तथ्यों की भलीभॉति विवेचना कर आदेश दिनांक 6-11-2003 पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की गुंजायश नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 155/02-03 अपील में पारित आदेश दिनांक 6-11-2003 विधिवत् होने से यथावत् रखा जाकर निगरानी अस्वीकार की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर